संख्या-150/2017/2061/26-3-2017-10(31)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 20 सितम्बर 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद-बस्ती, गोण्डा, एवं बलिया में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के भवन मरम्मत कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-1117-18/ स0क0/ विकास/छात्रावास-2016-17 दिनांक-24.10.2016, पत्र सं0-597-98/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ (42)/(गोण्डा-अनुरक्षण) /2017-18, दिनांक-25.07.2017 एवं पत्र संख्या-587- 88/स0 क0/विकास /ए0टी0एस0-मरम्मत/2016-17, दिनांक-09.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद-बस्ती, गोण्डा एवं बलिया में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के भवन मरम्मत कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति हेतु आगणन सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों/आश्रम पद्धति विद्यालयों की अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख (रूपये पाच करोड़ मात्र) के सापेक्ष निम्नलिखित छात्रावासों/जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के भवन मरम्मत कार्य हेतु प्रस्तावित लागत के सापेक्ष धनराशि रूपया-127.36 लाख (रूपये एक करोड़ सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार श्री राज्यपाल शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रस्तावित लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (पुराना) सिविल लाइन बस्ती	66.57	21.25
2	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (नया)सिविल लाइन बस्ती	18.76	21.25
3	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (गौर) बस्ती	65.20	21.25
4	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बभनान) बस्ती	52.44	21.25
5	जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जनपद-गोण्डा	199.23	18.50
6	जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, विशम्भरपुर, जनपद-	372.89	18.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	गोण्डा		
7	जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, बस्तौरा, रसड़ा जनपद-बलिया	67.09	5.36
	योग	842.18	127.36

(रूपये एक करोड़ सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र)

(1)-प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) कराने के उपरान्त ही आहरित कर प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)- उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5)-उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(6)-स्वीकृत की जा रही धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्रश्नगत विद्यालयों के भवनों का फोटोग्राफ्स प्राप्त कर लिया जाय, जो सक्षम अधिकारी द्वारा तिथि सहित प्रमाणित हो।

(7)-उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017 में निहित निर्देशो/प्रतिबन्धों का अनुपलन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- ''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-150/2017/2061(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2--महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।

3--निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4-जिलाधिकारी, बस्ती, गोण्डा एवं बलिया।

5-बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।

10-निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

11-जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती, गोण्डा एवं बलिया।

12--गार्डफाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।